उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2
संख्या-13/2016/सीपी 359/84-2-2016-सीपी 3/2011
लखनऊ : दिनांक : 03 जून, 2016
कार्यालय ज्ञाप

श्री विजय वर्मा प्रथम पुत्र स्व0 रवि वर्मा, जिला जज, 3/363, विश्वास खण्ड-3, गोमतीनगर, लखनऊ की नियुक्ति शासन की अधिसूचना संख्या-सीपी 221/84-2-2011-सीपी 3/2011 दिनांक 10 मई 2011 द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, लखनऊ प्रथम में अध्यक्ष (पूर्णकालिक) के पद पर की गयी थी।

2. निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या -649/एस0सी0डी0आर0सी0/अधि/76/11, दिनांक 11 मई, 2016 द्वारा श्री विजय वर्मा के पत्र दिनांक 06 मई, 2016 की प्रति उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया कि श्री वर्मा ने अपने उक्त पत्र में उल्लेख किया है कि वह अपना त्यागपत्र दिनांक 09 मई, 2016 की अपरान्ह से प्रस्तुत कर रहे हैं तथा यह भी अनुरोध किया है कि दिनांक 10 मई, 2016 से उक्त त्याग पत्र के क्रम में कार्य नहीं करेंगे। निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा श्री विजय वर्मा, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, लखनऊ प्रथम का त्यागपत्र दिनांक 09 मई, 2016 की अपरान्ह से स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. अतः उपर्युक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त जिला उपभोक्ता फोरम, लखनऊ प्रथम के अध्यक्ष (पूर्णकालिक) के पद से श्री विजय वर्मा प्रथम पुत्र स्व0 रवि वर्मा, जिला जज, 3/363, विश्वास खण्ड-3, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा स्वेच्छा से दिये गये त्यागपत्र को दिनांक 09 मई, 2016 की अपरान्ह से स्वीकार करने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सुधीर गर्ग
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-13/2016/सीपी 359/84-2-2016-सीपी 3/2011, तददिनांक
प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, विक्रान्तखण्ड-1, गोमतीनगर, लखनऊ।
(2) जिलाधिकारी, लखनऊ ।
(3) कोषाधिकारी, लखनऊ ।
(4) कार्यालय, जिला उपभोक्ता फोरम, लखनऊ प्रथम (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)।
(5) श्री विजय वर्मा प्रथम पुत्र स्व0 रवि वर्मा, जिला जज, 3/363, विश्वास खण्ड-3, गोमतीनगर, लखनऊ
(6) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
प्रेम शंकर राय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।